विषय:— रिट पटीशन नं. w.p. 1585/2016 द्वारा श्री अखिलेश शुक्ला एवं अन्य दै0वे0भो0 श्रमिक वनमण्डल सिंगरौली विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला एवं अन्य दै०वे०भो० श्रमिक ने म०प्र० शासन एवं अन्य के विरूद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/ खंडपीठ/इन्दौर/ग्वाक्रियर में दायर की है। जिसमें प्रथम पेशी दिनांक 14.03.2016 को नियत है, जिसकी सूचना इस कार्यालय में दिनांक 04. 03.2016 को प्राप्त हुई है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है।

अतः शासन पक्ष समर्थन करने हेतु वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

मूलतः पृष्ठ ०१ से १० तक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास, भोपाल, म.प्र.

पदेन सचिव वन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये है। जो नीचे ध्वज "अ" पर व्यवस्थित है। पक्ष समर्थन का आदेश जारी किया जाना है। कृपया पक्ष समर्थन आदेश जारी करने का कष्ट करें।

प्रदेन सचिव वन (आई.डी.सी.)

स्वित, विधि विभाग

2130

D:HRD-2 Faining Compulsory Training latter

- 3



9/

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 083/3/2016
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शिवतयों को प्रयोग में लाते हुए जिन सिडिंग प्रतितयों को प्रयोग में लाते हुए जिन सिडिंग प्रतित्व के प्रतित्व के सिवंग के सिव

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा. जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की सभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा ।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (জ) সম্বাবিব লিজিব কথন কা एक प्रारुप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विश्वीकरण के लिए आवश्यक कार्गज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगें।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नही रह जाये ।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विमागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जेहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयाविध में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अगीत के श्रीबास्तव) सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक :**८**8/3/2016

पृ. क्रमाक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ **○83** प्रतिलिपि:--

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय चिक्रायी कार्य विभाग भोपाल प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

3. जिलाध्यक्ष **रिवंश होत्य** जिला **रिवंश होता** म.प्र.।

- 4. व्यतः १००० कि कार्य दिन्निक्ष्मी प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
- 5. की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कन्ट करें ।
- 6. मुख्य वन संरक्षक चित्रा वृत्त च्या म्प्र
- 7. अर्थ कर्ज कर्ज कर्ज कर्ज कर्ज कर कि स्वांक क्षेत्र कर के संबंध में सूचनार्थ |
- उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
- 9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय <u>ज्ञाञ्चल प्र</u>म0प्र0 ।
- 10. शासकीय अधिवक्ता म०प्र० उच्च न्यायालय ...काञ्चरका म०प्र०।
- 11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्वकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।

सचिव वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कवलिय वन धना श्रीवा मण्य

950 kannol 1869

त्रीवा (हमांक) 3 - 3-16

प्रति

श्रीपर प्रधान मुख्या वन सोरक्षक मानन स्वंसापन विकस अतरुहा भवन भोषाङ मण्डर

विषय - ७.२. 1585 / 2016 हारा अधिवलेश शुक्ता हवं अचा दिल्ते भेण श्रीमा वनमण्डल क्लिस्ट्रोकी विकह मण्डल शक्तन हवं अचा में प्रमारी अविषये की नियुक्ति के संबन्ध में /

संदर्भ- उप पंरित्रमण्ड उन्य नगमालम जन्म अन्ति का प्रीर्वस आहि. टो. 1890प्र दिनांड - 02.02. 2016

विश्वमा कित प्रवरण कु \ \w.P. 1586 श्री अध्वलेश अपका खं अम् एवं दें वें मो श्रमण इशा न्यांक मितरें एपम श्रेमी देवसर जिला- दिलारों की के एवरण क्रीश / श्रम में पापित निक्षि एगां उठि उठि के पालत में जनमण्डला (बकार) ननमण्ड दिलारी की द्वारा आरी दीषी श्रमवों की सेता समाप्ति अगरेश के / स्था / श्र हों वें / प्राप्त किया जाता किया उत्तर व्यापाल अललाशु में यानिका द्वारा विपा अमा की उवरण में मण्डण अललाशु में यानिका द्वारा विपा अमा की उवरण में मण्डण अललाशु में यानिका द्वारा उत्तर व्यापाल द्वारा दिना विपा के

अति छ भी १८८ प्रदेश हैं अरवलेश भी वन मण्डल विहर मण्डण अवसन हने अत्य में निमाण्डला विवादी निमाण्डल क्लिसी न प्रभारी अविकारी निमुक्त कराने का क्ल करें लाक प्रत्यानीन विना निमा में प्रस्तुत करापा मा अहें | मोलान - उपरोक्तानुस्व मार्जना की जीते |

Ar oslogeoth

for admission

(2)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 18905/2016

WP/1585/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of
Judicature
at Jabalpur

Fixed for 14-03-2016
WP-DA-9
Respondent No. 3

To,

Chief Conservator Of Forest Forest Department. Distt. Rewa, District- Rewa (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 02-02-2016

Subt Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus Prohibition Certificari Quo Warranto) No. **WP/ 1585/ 2016**

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Akhilesh Shukla** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1585/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

3

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No.

1585

/2016

PETITIONERS

Akhilesh Shukla and Another

<u>VERSUS</u>

RESPONDENTS

State of Madhya Pradesh & Ors.

INDEX

₁ S.	Description of Documents	Annex.	Page
No.			No.
ĵī.	Index	:	01
02.	Chronological dates & events		02
03.	Writ Petition 3/a 226 of the Constitution		03-9
l	of India along with affidavit		1
04.	List of Documents		70 - 1
05.	Copy of impugned order dated	P - 01	 .!!
	14/01/2016		
06.	Copy of list of daily wages of forest	P - 02	12-20
	division erstwhile Distr. Sidni		'
07.	Copy of judgment passed by Magistrate	P - 03	21-31
08.	Copy of order dated 05/08/2015	P - C4	: 32 - 35 .
09.	Copy of order dated 14/08/2015	P - 05	34-38
10.	Copy of letter dated 09/10/2015	P - 06	1 — -i 39
11.	Copy of opinion	P 07	40
12.	Copies of letters dated 05/10/2015	P - 08	
13.	Copies of reply filed by petitioners	& P-09 P = 10	
<u>i_</u> . , , , .	<u></u>	8 P-11	भ3- भ४ :
14.	Copy of M.P. Daily Wages Employees (Conditions of Service) Rules, 2013	P - 12	<u> </u> 49-51
15.	Vakalatnama	ı	-⊢i . 52
			

JABALPUR DATE: 11/ /2016 (**Vijay Kumar Shukla**) COUNSEL FOR PETITIONERS

IN THE HIGH COUFT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT CABALPUR.

Writ Petition No.

/2016

PETITIONERS

www.ean End a and Another

<u>VERSUS</u>

RESPONDENTS

od Stane of Caphila Phagean & Dra.

CHRONOLOGICAL DATES AND FIRSTS

Date	E 872
Year 2004	The petitioners were appointed on us assess the
I	I department and are working since IIII- the name of
	the petitioners have been included in the include
	daily wages employees who are to be considered to
:	regularization are grant of payment as set Te
	i government circulars.
14/01/2016	Impugned order passed by Respondent '
· i	ho'ding any inquiry.
05/08/2015	Petitioners were falsely implicated in a criming case
	they have been convicted by judgment and sentences
	to imprisonment for 1 year and fine of Rs.2500
	The order was stayed by the learned Magistrate.
14 08 201	The said proof was further affirmed by the acce are
	court and the stay has been continued till the decision
	of the appeal.
09/10/201	5 Respondent No.4 sought an opinion in the matter
	; whether the services of the petitioners can ਹਵ
	terminated. An opinion was given that considering the
	fact that appear is pending and there is stay on the
	punishment.
05/10/20	15 The Respondent No.4 by letter asked the petitioners to
i	i submit the reply.
· — —	

JABALPUR DATE: 177 /2016 (Vijay Kumar Shukla) COUNSEL FOR PETITIONERS